सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 03 / 26 / 2025 ऑन लाईन नम्बर:–2025 / 155 प्रवेश तिथि:–16.06.2025

1. संगीता मैथिल पत्नी शरद मैथिल जाति महाजन निवासी प्लाट नम्बर 1 सहकार मार्ग लाल कोठी स्कीम जयपुर राजस्थान। ....प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ वर्तमान तहसीलदार टहला जिला अलवर।

.............अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला–अलवर सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री भूपेन्द्र शर्मा एड0–प्रार्थी
पैरोकार सरकार अप्रार्थी

–:निर्णय:– दिनांक 12 / 11 / 2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बावत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 2569 / 1.27 है0 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थी जरिये बयनामा से प्राप्त हुई थी। जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.03.2007 को श्री राधेश्याम चर्तुवेदी पुत्र श्री रामप्रसाद चर्तुवेदी निवासी ग्राम करनावर तहसील बसवा जिला दौसा से खरीद की थी। जिस पर प्रार्थीया काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया ने उक्त आराजी का विक्रय पत्र नामान्तकरण खालते समय सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया व उसके पति के सरनेम नाम **संगीता मैथिल पत्नी शरद मैथिल** की जगह सहवन से **संगीता मैशिल पत्नी शरद मैशिल** दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया व उसके पति के सरनेम अन्य रिकार्ड में **संगीता मैथिल पत्नी शरद मैथिल** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया व उसके पति के सरनेम का सही नाम संगीता मैथिल **पत्नी शरद मैथिल** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हाजा न्यायालय के पत्रांक / क्रमांक / कोर्ट / आर.ए. / धारा–136 / 2025 / 135 दिनांक 17.06.2025 से तहसीलदार टहला से रिपोर्ट तलव की गई। तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 2235 दिनांक 12.09.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार टहला की रिपोर्ट से साबित है कि **संगीता मैथिल पत्नी शरद मैथिल** व **संगीता मैशिल पत्नी शरद मैशिल** एक ही व्यक्ति है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

जिसका सही नाम जिसका सही नाम **संगीता मैथिल पत्नी शरद मैथिल** होना बताया गया। तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीया व उसके पति के सरनेम का नाम **संगीता मैथिल पत्नी शरद मैथिल** की जगह सहवन साबिक जमाबन्दी सम्वत 2069–75 के अनुसार से **संगीता मैशिल पत्नी शरद मैशिल** दर्ज कर रखा है उसके स्थान पर प्रार्थीया व उसके पति के सरनेम **संगीता मैथिल पत्नी शरद मैथिल** दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 2569/1.27 है0 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया व उसके पति के सरनेम **संगीता मैथिल पत्नी शरद मैथिल** की जगह सहवन से **संगीता मैशिल पत्नी शरद मैशिल** दर्ज कर दिया। जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार टहला की रिपोर्ट दिनांक 12.09.2025 का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थीया तथ्यों के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खसरा नम्बर 2569/1.27 है0 वाके ग्राम तालाब *तहसील टहला जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार टहला को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया व उसके पति के सरनेम संगीता मैशिल पत्नी शरद मैशिल दर्ज है उसके स्थान पर संगीता मैथिल पत्नी शरद मैथिल दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।*

निर्णय आज दिनांक 12/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते